विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर-

क्र0 सं0	**प्रश्न**	**उत्तर**
12(क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैन पावर के लिए आउट सोर्सिंग की व्यवस्था लागू है ?	जी हाँ। उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस, जेम (Gem) की व्यवस्था लागू किये जाने एवं जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में सेवायोजन पोर्टल पर व्यवस्था विकसित है।
(ख)	यदि हाँ, तो मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाता कंपनियों को प्रति व्यक्ति कितना शुल्क दिया जाता है ?	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग- 2 के शासनादेश संख्या-3/2021/103/18-2-2021-97(ल0उ0)/2016 टी0सी0-1, दिनांक 19 फरवरी, 2021 के प्रस्तर-2(6) के अनुसार बिड/निविदा हेतु सेवा प्रदाता के लिए अर्ह न्यूनतम सेवा शुल्क 4.5 प्रतिशत है, अत: इससे कम सेवा शुल्क निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।
(ग)	क्या सरकार मैन पावर को सेवा प्रदाता कंपनियों से प्राप्त न करके सीधे प्राप्त करने पर विचार करेगी ?	जी नहीं। सम्प्रति सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
(घ)	यदि हाँ, तो उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	प्रश्न नहीं उठता।
(ड़)	यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।